

<p style="text-align: center;"><b>प्ररूप 18 क</b></p> <p style="text-align: center;"><b>पेटेंट अधिनियम, 1970</b></p> <p style="text-align: center;"><b>और पेटेंट नियम, 2003</b></p> <p style="text-align: center;"><b>पेटेंट आवेदन के शीघ्र परीक्षण के लिए अनुरोध</b></p> <p style="text-align: center;"><b>[धारा 11ख और नियम 24ग देखें]</b></p>	<p style="text-align: center;">(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)</p> <p>अनुरोध सं०.:</p> <p>फाइल करने की तारीख:</p> <p>संदाय की गई फीस की रकम:</p> <p>सीबीआर सं०:</p> <p>हस्ताक्षर:</p>
<p>1. आवेदक (कों) का</p> <p>(क) नाम:</p> <p>(ख) राष्ट्रीयता:</p> <p>(ग) पता:</p>	
<p>2. मैं/हम ----- अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पेटेंट के लिए किए गए पेटेंट आवेदन सं. -----जिसको ----- आविष्कार का नाम ----- के लिए फाइल किया गया था का परीक्षण अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन किया जाए।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>मैं/हम ----- अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पेटेंट सं. ----- के लिए ----- शीर्षक ----- के लिए तारीख ----- को ----- देश में किए पेटेंट सहयोग संधि आवेदन सं.----- तारीख ----- के आधार पर नियम 20(4)(ii) में यथा निर्दिष्ट 31 माह की समाप्ती की प्रतीक्षा किए बिना अधिनियम की धारा 12 और 13 के अधीन तत्काल परीक्षण किया जाए।</p> <p style="text-align: center;">या</p>	

मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि -----आविष्कार का नाम----- पेटेंट के लिए पेटेंट आवेदन सं. जिसको ----- को----- फाइल किया गया के परीक्षण के अनुरोध सं० को नियम 24 ग के अधीन पेटेंट आवेदन के शीघ्र परीक्षण के अनुरोध मे रूपांतरित किया जाए और आवेदन का परीक्षण अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन किया जाए।

3. आवेदक लागू कारणों पर (उचित बॉक्स मे निशान लगा कर) दर्शाएं यदि त्वरित परीक्षण के लिए अनुरोध निम्नलिखित कारणों मे से किसी कारण के लिए किया गया है:

- कि आवेदक एक स्टार्ट-अप है; या
- कि अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आवेदन में भारत को सक्षम अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी के रूप में उपदर्शित किया गया है या अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप मे चयनित किया है।

भारत में सेवार्थ पता:

---

---

---

.....आज तारीख .....20.....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

सेवा में,  
पेटेंट नियंत्रक,  
पेटेंट कार्यालय,  
पता.....

टिप्पण:

आवेदक (आवेदकों) या उसके/ उनके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए  
"जो लागू न हो उसे स्तंभ काट दें।";  
फीस के लिए पहली अनुसूची देखें।";